

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 123/2019

तारीख 31-5-19

01. रमेशचन्द्र पिता नाथुलाल जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी माजीसाहब का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम

01. सुगना पिता चतुर्भूज जाति भील उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी आंट तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)
02. जगदीश पिता बद्रीलाल जाति शर्मा उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी आंट तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)
03. मूलचन्द पिता गोकल जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी आंट तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)
04. प्रभुलाल पिता गोकल जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी आंट तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)
05. मोहनलाल पिता गोकल जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी आंट तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

—: आदेश :-

दिनांक: 11/06/2019


प्रार्थना पत्र रमेशचन्द्र पिता नाथुलाल जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी माजीसाहब का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा आंट पटवार हल्का रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 122 पर अंकित आराजी संख्या 78, 79, 80, 81, 82, 83, 273 कुल किता 7 रकबा 7-15 बीघा भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावेँ साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक कांस्या को पत्थरगढी बाबत् कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500/- रूपयें तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा आंट पटवार हल्का रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 122 पर अंकित आराजी संख्या 78, 79, 80, 81, 82, 83, 273 कुल किता 7 रकबा 7-15 बीघा भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावेँ।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।
आदेश सुनाया गया


उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ